प्रतिलिपि आदेश दिनांक 16-6-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 1611-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 5-5-14 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर जिला रीवा प्र0क्र0 45/अ-74/13-14.

विष्णुदत्त गौतम तनय रामहित गौतम
निवासी गंगतीराकला तहसील त्योंथर त्योंथर
जिला रीवा म0प्र0 --- आवेदक

विरूद्ध

1- म0प्र0 शासन

2- मृतक रामानुग्रह गौतम पुत्र श्री
रामाश्रय गौतम निवासी गंगतीराकला तहसील
त्योंथर जिला रीवा म0प्र0 --- अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1611/तीन/2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर

16.6.14 यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, त्योंथर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 45/अ–74/13–14 में दी गई पुनरावलोकन अनुमति दिनांक 5–5–14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये, उन्होंने बताया कि ग्राम गंगतीराकलॉ के कुल किता 20 रकबा 11.93 एकड़ के भूमिस्वामी मृतक रामानुग्रह पुत्र रामाश्रय गौतम थे जो निःसंतान मरे, किन्तु मरने के पूर्व उन्होंने आवेदक के हक में बसीयत की और तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 74/अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 4–4–14 से बसीयत के आधार पर आवेदक का नामांतरण किया है किन्तु बिना किसी अधार के तहसीलदार ने आवेदक को सूचना दिये बिना अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर को पुनरावलोकन की अनुमति के प्रस्ताव भेज दिये और अनुविभागीय अधिकारी ने सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश दिनांक 5–5–14 से पुनरावलोकन की अनुमति देने में भूल की है इसलिये निगरानी सुनवाई में ली जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगाया जावे।

3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव निगरानी मेमो के अवलोकन से पाया गया कि यह निगरानी मृतक रामानुग्रह गौतम पुत्र रामाश्रय गौतम को अनावेदक क–2 बनाकर प्रस्तुत की गई है, जबकि आवेदक ने निगरानी मेमो के पद 4 में स्वयं लिखा है कि :–

निगरानी कमांक : 1611/तीन/2014

"तहसीलदार त्योंथर व्दारा बिना किसी आवेदन पत्र के पुनर्विलोकन में लिये जाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ की गई एंव अपना एक प्रतिवेदन दिनांक 5--5—14 को अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर को इस आधार पर भेजा कि गोपनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि मृतक रामानुग्रह गौतम की पत्नि एंव पुत्री जीवित हैं "

जब मृतक रामानुग्रह गौतम पुत्र रामाश्रय गौतम की मृतक की पत्नि एंव पुत्री जीवित है उन्हें निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसके कारण निगरानी में पक्षकारों का कुसंयोजन प्रतीत होता है।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने आपत्ति की है कि उन्हें सुने बिना तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी ने एकपक्षीय कार्यवाही कर पुनरावलोकन की अनुमति गलत ढंग से प्रदान की है। तहसीलदार व्दारा अंतरिम दिनांक 5—5—14 से अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर से पुनरावलोकन की अनुमति मृतक खातेदार रामानुग्रह गौतम की पत्नि एंव पुत्री के जीवित होने का पता चलते ही मांगी है। पुनरावलोकन की अनुमति का मामला तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी के बीच का है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) — धारा 51 — पुनरावलोकन की अनुमति दी जावे अथवा नहीं दी जावे — इस पर पक्षकारों के तर्क सुने जाने की आवश्यकता नहीं है। (पुरूषोत्तम बनाम पन्नालाल 1972 रा0नि0 173 पर अविलम्बित)
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) — धारा 51 — मामले का पुनरावलोकन स्वीकार करना एक प्रारंभिक स्टेज है — तदुपरांत जिस आदेश का रिव्यू करना स्वीकार किया गया है उस मामले को गुणागुण पर सुनवाई करने के लिये पक्षकारों को नोटिस देकर पेशी पर सुनवाई करना अनिवार्य है। (बनारसी दास भानोट बनाम देवीशंकर 1966 रा0नि0 521 = 1966ज0ला0ज0 1056 = 1966 म0प्र0ला0ज0 1092 हा0को0 पर अविलम्बित)

उक्त स्थिति में आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार योग्य नहीं है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आदेश दिनांक 5—5—14 से पुनरावलोकन अनुमति प्रदान करने में किसी प्रकार की त्रृटि

नहीं की है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी श्रवण योग्य न पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जाय।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर